



प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म से संबंधित अभियुक्त को
क्रमशः 12 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000 के
अर्थदंड/05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 के
अर्थदंड/02 वर्ष कठोर कारावास व 5,000 के अर्थदंड
की सजा दिलायी गयी

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक .04/06/2016.को थाना मझगवां हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0स0-71/16 धारा- 376,452,506 IPC में नामजद 1)अभियुक्त नरेंद्र पुत्र प्रेमचंद निवासी बरुआ थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को 376,452,506 IPC का दोषी करार देते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा अभियुक्त नरेंद्र को क्रमशः धारा- 376 में 12 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदंड/ धारा- 452 में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड/धारा 506 IPC में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।